(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Publicity and Public Relations, Central Excise and Customs, Manager (Press), Recruitment Rules, 2014, -

(a) for rule 2, the following shall be substituted:

"**2. Number of post, classification, Level in the pay matrix.**—The number of the post, its classification, Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(b) In the Schedule, -

(i) in column (4), -

(A) for the heading, the following shall be substituted, namely: -

"Level in the pay matrix";

(B) for the entry, the following shall be substituted, namely: -

"Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)";

(ii) in column (11), -

(A) under the heading "Promotion", for the letters, brackets, words and figures "PB-1 (Rs. 5200-20200/-) plus Grade Pay of Rs. 2800/-", the words, brackets and figures "Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)" shall be substituted;

(B) under the heading "Deputation", for the letters, words, figures and brackets "PB-2 (Rs.9300-34800/-) plus Grade Pay of Rs. 4200/-" and "PB-1 (Rs. 5200-20,200/-) plus Grade Pay of Rs. 2800)", the words, figures and brackets "Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)" and "Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)" respectively, shall be substituted.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India dated the 7th January, 2014 *vide* G.S.R. 5(E) dated 6th January, 2014.

[F. No. 10A12/5/2016-Ad.IIB]

NAGENDRA KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 67.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) सहायक निदेशक (राजभाषा) (समूह 'क' राजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) सहायक निदेशक (राजभाषा) (समूह 'क' राजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) सहायक निदेशक (राजभाषा) (समूह 'क' राजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्:-

"**2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या,वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2)से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,

(क) स्तंभ (4) में,-

(i) स्तंभ शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

(ii) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् -

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रु.)";

(ख) स्तंभ (11) में-

(i) "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन "पे-बैंड-2 (9300-34800 रु.) के ग्रेड पे 4600 रु." शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-1,42,400 रु.)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे";

(ii) "प्रतिनियुक्ति (जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मलित है)" शीर्षक के अधीन, मद (क) में;

(I) उप-मद (ii) में, "पे-बैंड-2 (9300-34800 रु.) ग्रेड पे 4800 रु." शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 8 (47,600-1,51,000 रु.)" शब्द, अंकों, कोष्ठक और अक्षर शब्द रखे जाएंगे";

(II) मद (iii) में, "पे-बैंड-2 (9300-34800 रु.), ग्रेड पे 4600 रु." शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-1,42,400 रु.)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर शब्द रखे जाएंगे।

टिप्पण : मूल नियम, सा.का.नि. 103, तारीख 4 जून, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, तारीख 6 जून, 2015 में प्रकाशित किए गए थे।

[फा. सं. 10ए12/2/2016-एडी-IIबी]

नगेंद्र कुमार, अवर सचिव (एडी-IIबी)

New Delhi, the 27th Feburary, 2018

G.S.R. 67.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Board of Excise and Customs (Attached and Subordinate Offices) Assistant Director (Official Language) (Group 'A' Gazetted) Recruitment Rules, 2015, namely: -

1. (1) These rules may be called the Central Board of Excise and Customs (Attached and Subordinate Offices) Assistant Director (Official Language) (Group 'A' Gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Board of Excise and Customs (Attached and Subordinate Offices) Assistant Director (Official Language) (Group 'A' Gazetted) Recruitment Rules, 2015 (herein after referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely: -

"**2. Number of post, classification, level in the pay matrix**.—The number of said post, classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule, annexed to these rules."

3. In the Schedule to the said rules, -

(a) in column (4), -

(i) for the column heading, the following column heading shall be substituted, namely: -

"Level in pay matrix.";

(ii) for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"Level 10 in the pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500).";

(b) in column (11), -

(i) under the heading "promotion", for the words, figures, brackets and letters "Pay Band-2 (Rs. 9300-34,800) with grade pay of Rs. 4600", the words, figures, brackets and letters "level 7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400)" shall be substituted;

(ii) under the heading "Deputation (including short-term contract)", in item (A), -

(I) in sub-item (ii), for the words, figures and letters "Pay Band-2, Rs. 9300-34,800 with grade pay of Rs. 4800", the words, figures, brackets and letters "level 8 in the pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100)" shall be substituted;

(II) in sub-item (iii), for the words, figures and letters "Pay Band-2, Rs. 9300-34,800 with grade pay of Rs. 4600", the words, figures, brackets and letters "level 7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400)" shall be substituted.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India dated the 6th June, 2015 vide number G.S.R. 103, dated the 4th June, 2015.

[F. No. 10A12/2/2016-Ad. IIB]

NAGENDRA KUMAR, Under Secy. (Ad.IIB)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला सहायक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया जा चुका है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल, नई दिल्ली में जूनियर मेडीकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल, नई दिल्ली, जूनियर मेडीकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :